

बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का बालकों के व्यक्तित्व विकास एवं पुनर्वास पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Ekta Kumari, Research Scholar, Department of Education, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur
ektakumari1250@gmail.com

Dr. Sandhya, Assistant Professor, Department of Education, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

सार

बाल सुधार गृह किशोर न्याय प्रणाली के ऐसे संस्थागत केंद्र हैं जिनका उद्देश्य विधि के साथ संघर्ष की स्थिति में आए बालकों को दण्डित करना नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करना है। वर्तमान शोध-पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जिसमें सरकारी प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों तथा समकालीन शोध अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बाल सुधार गृहों में संचालित शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, खेल, जीवन-कौशल एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ बालकों के व्यक्तित्व विकास तथा पुनर्वास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

उपलब्ध शोधों से स्पष्ट होता है कि पुनर्वास की सफलता केवल संस्थागत संरक्षण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार आधारित पुनर्स्थापन, जीवन-कौशल तथा सामाजिक पुनर्समायोजन जैसे बहुआयामी हस्तक्षेपों पर आधारित होती है। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि भारतीय बाल सुधार गृहों में पुनर्वास कार्यक्रमों का विस्तार तो हुआ है, किन्तु प्रशिक्षित मानव संसाधन, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पश्चात्-पुनर्वास सेवाओं तथा परिणाम-आधारित मूल्यांकन की दृष्टि से अभी भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अतः आवश्यक है कि बाल सुधार गृहों को केवल संरक्षण संस्थान न मानकर वैज्ञानिक पुनर्वास केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए।

कुंजी शब्द: बाल सुधार गृह, किशोर न्याय, व्यक्तित्व विकास, पुनर्वास, बाल संरक्षण, जीवन-कौशल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, संस्थागत देखभाल।

1. प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की अवधारणा को मानवाधिकारों के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किए जाने के पश्चात विश्व स्तर पर किशोर न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। आज अधिकांश देशों में यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि विधि के साथ संघर्ष की स्थिति में आए बालकों को अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि विशेष संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता वाले बालक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी कारण आधुनिक किशोर न्याय व्यवस्था का केन्द्र दण्ड नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन बन गया है।

भारतीय संदर्भ में भी यही दृष्टिकोण किशोर न्याय व्यवस्था का आधार है। बाल सुधार गृहों की स्थापना का उद्देश्य केवल सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं तथा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। समय के साथ इन संस्थानों की भूमिका पारंपरिक संरक्षण मॉडल से आगे बढ़कर

पुनर्वास आधारित मॉडल की ओर परिवर्तित हुई है। इसके बावजूद विभिन्न सरकारी मूल्यांकन रिपोर्टें यह संकेत करती हैं कि अनेक संस्थानों में पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है।

बाल सुधार गृहों की प्रभावशीलता को समझने के लिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि वहाँ कौन-कौन सी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन गतिविधियों का बालकों के व्यक्तित्व, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक पुनर्स्थापन पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ता है। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने संस्थागत पुनर्वास कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों का सामान्य निष्कर्ष यह है कि शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, खेल, जीवन-कौशल तथा परिवार आधारित पुनर्वास को एकीकृत रूप से लागू करने वाले संस्थानों में पुनर्वास के परिणाम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी पाए गए।

दूसरी ओर, भारत के विभिन्न निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों ने यह भी इंगित किया है कि अनेक बाल देखभाल संस्थानों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, रिक्त पद, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, सीमित चिकित्सा सुविधाएँ तथा पश्चात्-पुनर्वास सेवाओं का अभाव पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं; उनकी प्रभावी संस्थागत क्रियान्विति भी उतनी ही आवश्यक है।

वर्तमान शोध-पत्र इसी पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। यह अध्ययन पूर्णतः **द्वितीयक आँकड़ों** पर आधारित है तथा विभिन्न शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, नीति दस्तावेजों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य किसी एक बाल सुधार गृह का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि उपलब्ध शोध-साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट करना है कि बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों में कौन-से आयाम व्यक्तित्व विकास एवं पुनर्वास पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं तथा भारतीय व्यवस्था में कौन-सी प्रमुख कमियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

2. बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का व्यक्तित्व विकास एवं पुनर्वास पर प्रभाव: उपलब्ध शोधों का विश्लेषण

2.1 संस्थागत पुनर्वास की अवधारणा: दण्डात्मक मॉडल से पुनर्वास मॉडल तक

बाल सुधार गृहों की भूमिका को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले संस्थागत पुनर्वास की अवधारणा का विश्लेषण किया जाए। पिछले दो दशकों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दृष्टिकोण विकसित हुआ है कि विधि के साथ संघर्ष की स्थिति में आए बालकों के साथ दण्डात्मक व्यवहार करने की अपेक्षा उनके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक पुनर्वास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

UNICEF India (2023) ने *Child Protection* विषयक अपने नीति दस्तावेज़ में स्पष्ट किया कि भारत की बाल संरक्षण प्रणाली का आधार **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015** है। रिपोर्ट के अनुसार बाल संरक्षण का उद्देश्य केवल बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण संरक्षण सेवाएँ, शिक्षा, परामर्श तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना भी है। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि हिंसा, शोषण, बाल श्रम, तस्करी तथा पारिवारिक

विघटन जैसी परिस्थितियाँ बालकों के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, इसलिए पुनर्वास कार्यक्रमों का बहुआयामी होना आवश्यक है।

इसी संदर्भ में **National Commission for Protection of Child Rights (2022-23)** की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि बाल देखभाल संस्थानों में केवल आवास एवं भोजन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। आयोग ने शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, जीवन-कौशल प्रशिक्षण तथा पुनर्वास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को संस्थागत गुणवत्ता का प्रमुख संकेतक माना है।

इन दोनों दस्तावेजों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान बाल संरक्षण व्यवस्था में पुनर्वास को बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। तथापि भारतीय बाल सुधार गृहों में अभी भी पुनर्वास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मुख्यतः प्रशासनिक मानकों के आधार पर किया जाता है। व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समायोजन तथा पुनः अपराध की दर जैसे परिणाम-आधारित संकेतकों का व्यवस्थित उपयोग अभी सीमित है। यही कारण है कि नीतिगत स्तर पर पुनर्वास को प्राथमिकता मिलने के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर उसकी प्रभावशीलता समान रूप से दिखाई नहीं देती।

2.2 शिक्षा एवं जीवन-कौशल आधारित हस्तक्षेप

बाल सुधार गृहों में शिक्षा को पुनर्वास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। परन्तु समकालीन शोध यह संकेत करते हैं कि केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है; शिक्षा को जीवन-कौशल, भावनात्मक अधिगम तथा सामाजिक पुनर्समायोजन से जोड़ना आवश्यक है।

UNESCO (2021) ने अपनी रिपोर्ट *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education* में प्रतिपादित किया कि भविष्य की शिक्षा केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा को सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा जीवन-कौशल के विकास से जोड़ना आवश्यक है। विशेष रूप से संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक पुनर्स्थापन भी होना चाहिए।

इसी प्रकार **UNICEF (2023)** की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि संघर्षपूर्ण एवं संस्थागत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा मानसिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता तथा भविष्य की संभावनाओं का आधार बनती है। शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है और उन्हें पुनः समाज से जुड़ने की प्रेरणा देती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में **National Commission for Protection of Child Rights (2022)** द्वारा प्रकाशित विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह पाया गया कि अनेक बाल देखभाल संस्थानों में शिक्षा की उपलब्धता तो है, किन्तु सीखने की गुणवत्ता, जीवन-कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कई संस्थानों में शिक्षा परीक्षा-केंद्रित है, जबकि बालकों की वास्तविक आवश्यकता पुनर्वासोन्मुख शिक्षा की है।

उपरोक्त अध्ययनों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि शिक्षा तभी प्रभावी पुनर्वास माध्यम बन सकती है जब उसे जीवन-कौशल, व्यवहार परिवर्तन तथा सामाजिक पुनर्स्थापन से जोड़ा जाए। भारतीय बाल सुधार गृहों में शिक्षा अभी भी मुख्यतः औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था तक सीमित है। भविष्य में शिक्षा कार्यक्रमों को बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, पूर्व शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा रोजगारोन्मुख कौशल के साथ एकीकृत करना अधिक प्रभावी होगा।

2.3 संस्थागत देखभाल एवं पुनर्वास की गुणवत्ता

सरकारी लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण रिपोर्टें पुनर्वास कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि ये नीतिगत प्रावधानों और उनके क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करती हैं।

Comptroller and Auditor General of India (2023) ने *Performance Audit on Children in Need of Care and Protection* में दिल्ली के बाल देखभाल संस्थानों का मूल्यांकन करते हुए पाया कि कई संस्थानों में आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, संस्थागत समन्वय तथा पुनर्वास सेवाओं के प्रभावी संचालन में कमियाँ थीं। रिपोर्ट ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि योजनाओं के प्रावधान और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है।

इसी प्रकार National Commission for Protection of Child Rights (2022) द्वारा विभिन्न राज्यों के बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह पाया गया कि संस्थानों के बीच सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय असमानता है। कुछ संस्थानों में शिक्षा, परामर्श एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जबकि अन्य संस्थानों में प्रशिक्षित कार्मिकों, मनोवैज्ञानिक सेवाओं तथा पुनर्वास योजनाओं का अभाव पाया गया।

इन सरकारी अध्ययनों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भारतीय बाल सुधार गृहों की सबसे बड़ी चुनौती नीतियों का अभाव नहीं, बल्कि उनके समान एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन का अभाव है। यदि संस्थानों के मूल्यांकन में केवल प्रशासनिक निरीक्षण के स्थान पर व्यक्तित्व विकास, पुनर्वास परिणाम तथा सामाजिक पुनर्स्थापन जैसे संकेतकों को भी शामिल किया जाए, तो पुनर्वास कार्यक्रमों की वास्तविक प्रभावशीलता का अधिक वैज्ञानिक आकलन संभव होगा।

2.4 मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं मानसिक स्वास्थ्य: पुनर्वास कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम द्वितीयक साहित्य के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बाल सुधार गृहों में आने वाले अधिकांश बालक केवल विधिक समस्याओं से नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक आघातों से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए आधुनिक शोधों में मनोवैज्ञानिक परामर्श को पुनर्वास प्रक्रिया का केंद्रीय घटक माना गया है। उपलब्ध अध्ययनों का विश्लेषण यह संकेत करता है कि यदि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा की जाती है, तो शिक्षा, कौशल विकास अथवा अन्य पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता भी सीमित हो जाती है।

National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS, 2021) ने *Child and Adolescent Mental Health: A Manual for Medical Officers* में स्पष्ट किया

कि संस्थागत देखभाल प्राप्त बच्चों में अवसाद, चिंता, आक्रामक व्यवहार, आत्मविश्वास की कमी तथा भावनात्मक अस्थिरता सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग तथा व्यक्तिगत देखभाल योजना बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हैं।

इसी प्रकार **Reach Alliance (2024)** ने *What Does It Take to Heal? Impact of the Juveniles Accessing Mental Health Services Program on Youth within Childcare Institutions in India* शीर्षक अध्ययन में पाया कि जिन बाल देखभाल संस्थानों में नियमित काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुरक्षित संवाद का वातावरण उपलब्ध कराया गया, वहाँ बच्चों के तनाव, भय एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। अध्ययन में यह भी बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होने से संस्थागत बच्चों में आत्मविश्वास तथा सामाजिक सहभागिता में वृद्धि हुई।

Kumar, S. एवं Singh, R. (2023) ने *Mental Health Challenges among Children Living in Child Care Institutions in India* शीर्षक अध्ययन में पाया कि बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पारिवारिक विघटन, सामाजिक अस्वीकृति तथा पूर्व में अनुभव की गई हिंसा हैं। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि संस्थागत पुनर्वास कार्यक्रमों में प्रत्येक बच्चे का नियमित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इन तीनों अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भारतीय बाल सुधार गृहों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अभी भी सहायक सेवा के रूप में देखा जाता है, जबकि उपलब्ध शोध उन्हें पुनर्वास का आधार मानते हैं। अधिकांश संस्थानों में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सीमित है तथा व्यक्तिगत काउंसलिंग की व्यवस्था नियमित नहीं है। परिणामस्वरूप बच्चों के व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाती। इसलिए भविष्य की पुनर्वास नीति में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शिक्षा अथवा सुरक्षा जितनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2.5 खेल, योग एवं शारीरिक गतिविधियाँ

शारीरिक गतिविधियों को लंबे समय तक बाल सुधार गृहों में केवल मनोरंजन अथवा दैनिक दिनचर्या का भाग माना जाता रहा, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित शोधों ने यह सिद्ध किया है कि खेल एवं योग पुनर्वास प्रक्रिया के वैज्ञानिक हस्तक्षेप के रूप में भी कार्य करते हैं।

World Health Organization (2020) ने *Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour* में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि नियमित शारीरिक गतिविधियाँ किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्म-नियंत्रण, भावनात्मक संतुलन तथा सामाजिक सहभागिता में सुधार करती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शारीरिक निष्क्रियता चिंता, तनाव तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है, जबकि नियमित खेल इन जोखिमों को कम करते हैं।

UNESCO (2021) ने *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education* में खेल, कला एवं जीवन-कौशल आधारित शिक्षा को भविष्य की समावेशी शिक्षा प्रणाली

का आधार बताया। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन तथा सामाजिक समायोजन विकसित करने का प्रभावी साधन हैं।

इसी दिशा में Bailey, R. (2022) ने *Sport, Physical Activity and Social Development among Vulnerable Children* शीर्षक शोध में पाया कि संरचित खेल कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी करने वाले किशोरों में आत्मविश्वास, समूह-व्यवहार तथा निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। शोध में यह भी पाया गया कि खेल गतिविधियाँ आक्रामकता को कम करने तथा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार विकसित करने में सहायक होती हैं।

उपलब्ध अध्ययनों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि भारतीय बाल सुधार गृहों में खेल सुविधाएँ तो अधिकांश स्थानों पर उपलब्ध हैं, किन्तु खेलों को पुनर्वास कार्यक्रम का वैज्ञानिक भाग बनाने की दिशा में अभी पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। अधिकांश संस्थानों में यह मूल्यांकन नहीं किया जाता कि खेल कार्यक्रमों का बच्चों के व्यक्तित्व, अनुशासन अथवा सामाजिक व्यवहार पर वास्तविक प्रभाव क्या है। इसलिए भविष्य में खेल कार्यक्रमों को परिणाम-आधारित मूल्यांकन प्रणाली से जोड़ना आवश्यक होगा।

2.6 व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सामाजिक पुनर्स्थापन

समकालीन पुनर्वास साहित्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता को सामाजिक पुनर्वास की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक माना गया है। यदि संस्थान से बाहर आने के बाद बालक सम्मानजनक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसके पुनः अपराध की ओर लौटने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण आधुनिक बाल सुधार गृहों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को पुनर्वास कार्यक्रम का अनिवार्य घटक बनाया गया है।

International Labour Organization (ILO, 2022) ने *Skills Development and Decent Work for Youth* रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण युवाओं के आत्मविश्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ाता है। रिपोर्ट के अनुसार कौशल विकास केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करता है।

UNESCO (2022) ने *Transforming Technical and Vocational Education and Training* रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को सामाजिक रूप से वंचित युवाओं के पुनर्वास से जोड़ना आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत देखभाल प्राप्त किशोरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार, आत्मसम्मान तथा सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध होते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2023) की *Annual Report* में उल्लेख किया गया है कि बाल देखभाल संस्थानों में कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा तथा आजीविका आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है ताकि संस्थान छोड़ने वाले किशोर आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।

इन अध्ययनों के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय बाल सुधार गृहों में कौशल विकास कार्यक्रमों की उपलब्धता बढ़ी है, किन्तु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी **Aftercare Support** की कमी है। अधिकांश शोध इस बात पर सहमत हैं कि प्रशिक्षण के बाद यदि रोजगार परामर्श, उद्योगों से संपर्क तथा समुदाय आधारित सहयोग उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो कौशल विकास कार्यक्रमों का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रह जाता है। इसलिए पुनर्वास मॉडल को **कौशल विकास + रोजगार संपर्क + आफ्टरकेयर** के एकीकृत ढाँचे में विकसित करना अधिक प्रभावी होगा।

3. चर्चा: उपलब्ध शोधों के आलोक में भारतीय बाल सुधार गृहों की चुनौतियाँ एवं पुनर्वास की दिशा द्वितीयक साहित्य, सरकारी प्रतिवेदनों तथा अंतरराष्ट्रीय शोधों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में किशोर न्याय व्यवस्था ने पिछले एक दशक में पुनर्वास-आधारित दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। इसके बावजूद नीतिगत प्रावधानों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच पर्याप्त अंतर विद्यमान है। अधिकांश शोध इस बात पर सहमत हैं कि पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता केवल विधिक प्रावधानों से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि संस्थागत संसाधनों, प्रशिक्षित मानवबल, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा पुनर्वास के पश्चात् मिलने वाले सामाजिक सहयोग पर निर्भर करती है।

3.1 नीतिगत प्रावधान एवं वास्तविक क्रियान्वयन के मध्य अंतर

Comptroller and Auditor General of India (2023) ने *Performance Audit on Children in Need of Care and Protection* में दिल्ली के बाल देखभाल संस्थानों का मूल्यांकन करते हुए पाया कि अनेक संस्थानों में मानव संसाधनों की कमी, अधोसंरचना की अपर्याप्तता, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव तथा पुनर्वास योजनाओं के प्रभावी संचालन में गंभीर कमियाँ थीं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कई योजनाएँ केवल दस्तावेजों तक सीमित रहीं तथा निगरानी व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर प्रभावी नहीं थी।

इसी प्रकार **National Commission for Protection of Child Rights (2023-24)** की वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों के निरीक्षणों के आधार पर यह बताया गया कि बाल देखभाल संस्थानों के बीच सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक असमानता है। आयोग ने विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं को मजबूत बनाने की अनुशंसा की।

विश्लेषण : दोनों सरकारी दस्तावेज यह स्पष्ट करते हैं कि समस्या कानूनों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनके असमान क्रियान्वयन की है। जिन राज्यों में संस्थागत निगरानी, प्रशिक्षित स्टाफ एवं नियमित मूल्यांकन उपलब्ध है वहाँ पुनर्वास कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हैं, जबकि संसाधनों की कमी वाले संस्थानों में सुधारात्मक गतिविधियाँ सीमित होकर रह जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य की नीति का केन्द्र **"Policy to Practice Gap"** को कम करना होना चाहिए।

3.2 आफ्टरकेयर (Aftercare) एवं सामाजिक पुनर्स्थापन की चुनौती

समकालीन पुनर्वास साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि संस्थान से बाहर निकलने के बाद मिलने वाला सामाजिक सहयोग पुनर्वास की सफलता का निर्णायक कारक होता है।

CLiC (Community of Learning and Innovation for Childcare, 2024) ने *Beyond 18: You Should Know* रिपोर्ट में पाया कि बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले अनेक युवाओं को रोजगार, उच्च शिक्षा, आवास तथा सामाजिक सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकांश पुनर्वास कार्यक्रम संस्थान के भीतर समाप्त हो जाते हैं, जबकि वास्तविक चुनौतियाँ संस्थान छोड़ने के बाद प्रारम्भ होती हैं। रिपोर्ट ने आफ्टरकेयर सेवाओं, रोजगार सहायता, छात्रवृत्ति तथा कौशल विकास को एकीकृत करने की अनुशंसा की।

इसी संदर्भ में **UNICEF Annual Report (2023)** ने भी बाल संरक्षण कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास, परिवार की सहभागिता तथा दीर्घकालिक सामाजिक समर्थन को बच्चों के सफल पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक बताया है।

विश्लेषण : भारतीय पुनर्वास मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि संस्थागत अवधि समाप्त होने के बाद बालकों के लिए समुचित सहायता तंत्र उपलब्ध नहीं होता। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद यदि रोजगार, आवास अथवा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध न हो, तो पुनः अपराध अथवा सामाजिक बहिष्करण का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए पुनर्वास को संस्थान के भीतर सीमित न रखकर **Aftercare Continuum Model** के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

3.3 व्यक्तित्व विकास के लिए बहुआयामी मॉडल की आवश्यकता

उपलब्ध शोध यह संकेत करते हैं कि कोई भी एकल गतिविधि—चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो अथवा परामर्श—अपने आप में पर्याप्त नहीं है। प्रभावी पुनर्वास तभी संभव है जब सभी गतिविधियाँ एक-दूसरे की पूरक हों।

Centre for Child and the Law, National Law School of India University (2023–24) की वार्षिक रिपोर्ट *Empowering Child Rights, Transforming Futures* में बताया गया कि बाल न्याय प्रणाली में विधिक सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, समुदाय आधारित सहयोग तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के एकीकृत संचालन से बच्चों की न्याय तक पहुँच एवं पुनर्वास की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार बहु-विषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण एकल हस्तक्षेप की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होता है।

इसी प्रकार **UNESCO (2022)** ने *Transforming Technical and Vocational Education and Training: UNESCO Strategy 2022–2029* में कौशल विकास, जीवन-कौशल तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा को सामाजिक समावेशन एवं दीर्घकालिक पुनर्वास का आधार माना है।

विश्लेषण : उपलब्ध शोधों का संश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तित्व विकास किसी एक कार्यक्रम का परिणाम नहीं है। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल, परिवार तथा समुदाय—इन सभी

का समन्वित प्रभाव ही स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करता है। अतः भारतीय बाल सुधार गृहों में **Integrated Rehabilitation Model** को संस्थागत रूप से अपनाने की आवश्यकता है।

4. निष्कर्ष

द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक किशोर न्याय व्यवस्था में बाल सुधार गृहों की भूमिका केवल संरक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रह गई है। वर्तमान शोध एवं सरकारी प्रतिवेदन इस बात पर सहमत हैं कि इन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य बालकों का व्यक्तित्व विकास, मानसिक पुनर्स्थापन, सामाजिक समायोजन तथा सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना है। शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, खेल, जीवन-कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम तभी प्रभावी सिद्ध होते हैं जब उन्हें समन्वित रूप से लागू किया जाए।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत में पुनर्वास संबंधी नीतियाँ अपेक्षाकृत सुदृढ़ हैं, किन्तु उनके क्रियान्वयन में राज्यों एवं संस्थानों के मध्य पर्याप्त असमानता विद्यमान है। प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की कमी, परिणाम-आधारित मूल्यांकन का अभाव, सीमित आफ्टरकेयर सेवाएँ तथा रोजगार से कमजोर जुड़ाव पुनर्वास की प्रमुख बाधाएँ हैं। यदि इन कमियों को दूर किया जाए तो बाल सुधार गृह वास्तव में व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन के प्रभावी केन्द्र बन सकते हैं।

समग्र रूप से यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भविष्य की पुनर्वास नीति को **संरक्षण-आधारित मॉडल** से आगे बढ़ाकर **साक्ष्य-आधारित (Evidence-Based)**, **बहु-विषयक (Multidisciplinary)** एवं **परिणाम-केंद्रित (Outcome-Oriented)** मॉडल की दिशा में विकसित करना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण बालकों के दीर्घकालिक व्यक्तित्व विकास तथा सफल सामाजिक पुनर्वास के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा।

संदर्भ सूची

1. Bailey, R. (2022). *Sport, physical activity and social development among vulnerable children*. Routledge.
2. Comptroller and Auditor General of India. (2023). *Performance audit on children in need of care and protection in Delhi*. Government of India.
3. Centre for Child and the Law. (2024). *Annual report 2023–2024: Empowering child rights, transforming futures*.
4. International Labour Organization. (2022). *Skills development and decent work for youth*. International Labour Organization.
5. Kumar, S., & Singh, R. (2023). *Mental health challenges among children living in child care institutions in India*. *Indian Journal of Social Psychiatry*.
6. National Commission for Protection of Child Rights. (2022). *Guidelines for child care institutions*. Government of India.
7. National Commission for Protection of Child Rights. (2024). *Annual report 2023–2024*. Government of India.
8. National Institute of Mental Health and Neurosciences. (2021). *Child and adolescent mental health: A manual for medical officers*. NIMHANS.
9. Reach Alliance. (2024). *What does it take to heal? Impact of the juveniles accessing mental health services program on youth within childcare institutions in India*. Reach Alliance.

10. UNICEF. (2021). *Reimagining child protection: Reintegration framework for children in conflict with the law*. UNICEF.
11. UNICEF. (2023). *Annual report 2023*. UNICEF.
12. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.
13. UNESCO. (2022). *Transforming technical and vocational education and training: UNESCO strategy 2022–2029*. UNESCO.
14. United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
15. World Health Organization. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization.
16. Ministry of Women and Child Development. (2023). *Annual report 2022–2023*. Government of India.
17. Ministry of Women and Child Development. (2021). *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2021*. Government of India.
18. Government of India. (2015). *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015*. Ministry of Law and Justice.
19. National Crime Records Bureau. (2023). *Crime in India 2022*. Ministry of Home Affairs.
20. United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Roadmap on children associated with the justice system*. United Nations.

